

## रेयाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

(ISO 9001: 2015 - Certified Organization)



## ADMIT CARD SR. SECONDARY EXAM JULY - 2024

Name	HARSH
Father's Name / Mother's Name / D.O.B.	RAM KUMAR / RANI DEVI / XX/09/2006
Roll No.	3024108522 Aadhaar No 347373095971
Centre Name	HISAR-17, MAHARAJA AGGARSAIN PUBLIC SR SEC SCHOOL ANAJ MANDI
Category	COMPARTMENT



परीक्षार्थी, प्रवेश पत्र पर रंगीन फोटो जो ऑनलाइन फार्म भरते समय स्कैन किया गया था, उसे चिपकाकर किसी सरकारी /गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य/ मुख्याध्यापक या किसी राजपतिरत अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर



पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

- केन्द्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
- 2. परीक्षार्थी A4 साईज पेपर पर रंगीन प्रिंट निकलवाने उपरान्त यह सुनिश्चित करें कि उस पर दर्शाए गए विवरण जैसे:-नाम, पिता /माता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य विवरण उसी के हैं। यदि विवरणों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो परीक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करके संशोधन करवा लें।<u>परीक्षाएं आरम्भ होने के</u> उपरान्त फोटो व हस्ताक्षर सम्बन्धी तुटि ठीक नहीं की जायेगी।
- 3. कम्पार्टमैंट श्रेणी का परीक्षार्थी जो प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तथा लिखित में उत्तीर्ण है तो उसे केवल प्रायोगिक परीक्षा ही देनी है और यदि परीक्षार्थी लिखित में अनुत्तीर्ण है लेकिन प्रायोगिक में उत्तीर्ण है तो उसे केवल लिखित परीक्षा देनी होगी । प्रायोगिक परीक्षा हेतु केन्द्र अधीक्षक से सम्पर्क करें।
- 4. परीक्षा केन्द्र पर मुल पहचान-पत्र (आधार कार्ड आदि) अपने साथ लाएं।
- 5. परीक्षार्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पास या आस-पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है।
- परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे:- मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग वर्जित है।
- 7. प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के तिथि अनुसार हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, इसलिए प्रवेश पत्र पर लेमिनेशन
- 8. किसी अन्य/दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा में प्रवेश होना/ परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है। जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करवाई जा सकती है।
- 9. परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पहले (01:30 वजे तक) परीक्षा कक्ष में पहुँचना अनिवार्य है।
- 10. लेखक लेने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C.M.O) द्रारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्र अधीक्षक। मुख्य केंद्र अधीक्षक। बोर्ड कार्यालय से सम्पर्क करें।
- 11. वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान ना लगाएँ अन्यथा यू.एम.सी. बना दिया जायेगा।
- 12. परीक्षार्थी पर्यवेक्षक द्वारा दी गई उत्तरपुस्तिका के पृष्ठों की संख्या जाँच ले । यदि किसी उत्तरपुस्तिका का कोई पृष्ठ/ पेज फटा हुआ या गायब मिलता है तो उस अवस्था में परीक्षार्थी का यू.एम.सी. माना जायेगा ।

(REPORTING TIME 01:30 PM)									
EXAM	EXAM DAY	EXAM	SUBJECT	SUBJECT	MEDIUM OF	SIGNATURE OF	SIGNATURE OF		
DATE		TIME	CODE	NAME	SUBJECT	STUDENT	INVIGILATOR		
03/07/2024	WEDNESDAY	02:00 PM to 05:00 PM	573	POLITICAL SCIENCE	HINDI				

(Dr. V. P. Yadav) Chairman